

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know. (Interruptions). I have got two Special Mentions. (Interruptions) I don't know what everybody is saying. Mr. Javali (Interruptions).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I request the Leader of the House to rise and respond to the issue which we have raised in regard to the Mandal Commission's recommendations. The Leader of the House was good enough to rise and was about to respond...

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai): in the Chair]

SHRI S. B. CHAVAN: I am sorry, when I was going to say something you were not very keen to listen to the statement which I was going to make. Let me again submit to the House that I will request, specially the Minister of Welfare who is in charge of this subject to come before this House and make a statement.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please sit down. Just a minute.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I want...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Dr. Jain, you have already spoken. I am not permitting.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I want to raise some other issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: It is a very important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No. Mr. Malaviya.
415 RS-14.

Re. Maltreatment meted out to Former Chief Minister and Freedom Fighter Shri Bhagwat Dayal Sharma by Police.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शर्मनाक घटना की ओर ध्यान आकषिप्त करना चाहता हूँ कि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, देश के प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमिलनाडु के भूतपूर्व राज्यपाल श्री भगवत दयाल शर्मा से मेरी आज सुबह टेलीफोन पर बात हुई। उनका टेलीफोन नं. 537300 है और वह पंजाबी बाग में रहते हैं। जो घटना हुई उन्होंने मुझको बताया कि 5 तारीख को शाम को पुलिस की जो पी.सी.आर. की टुकड़ी होती है पंजाबी बाग में उसने उनके लड़के श्री महादेव शर्मा को रोक लिया। ... (व्यवधान) यह पं. भगवत दयाल शर्मा से पता लगा और इस बात की जानकारी हुई कि उनके लड़के को ... (व्यवधान) पीटा है। ... (व्यवधान) उनकी अवस्था इस समय करीब-करीब 88 वर्ष की है वह स्वयं वहाँ पर गए और पं. भगवत दयाल शर्मा ने मुझको बतलाया कि उस पुलिस वाले ने जो जिप्सी में बैठे हुए थे उन्होंने उनकी दाढ़ी को खींचा पं. भगवत दयाल शर्मा की दाढ़ी को पी.सी.आर. की जिप्सी में बैठे हुए पुलिस वाले ने खींचा और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने-कितने गवर्नर और कितने मुख्य मंत्रियों को देखा है। दिल्ली में यह घटना घट रही है जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज़र करने के लिए जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गृह मंत्री जी इस समय यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली का प्रशासन सीधे-सीधे गृह मंत्रालय के हाथ में है। तो मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पहले जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस बात की जानकारी आप पं. भगवत दयाल शर्मा से कर लें। उनका टेलीफोन नं. 537300 है। उस जिप्सी में पंजाबी बाग में 5 तारीख को जो भी पुलिस अधिकारी थे उनकी आप मुश्तल करिए

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

और फिर आप इस सदन को बताइये कि आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री एस. एस. सुरजेवाला (हरियाणा): बहस चैयरमन महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि पं. भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं 80 साल की उनकी उम्र है और वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उनके साथ पुलिस ने जो बुर्य्यवहार किया है उसके लिए मैं यह मांग करता हूं और मालवीय जी की बात का समर्थन करता हूं कि पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और होम मिनिस्टर महोदय से मैं दरखास्त करूंगा...

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): इसके बारे में मैंने फल ही पुलिस कमिश्नर को लिखा है, ज्यों ही उनके पास से खबर आएगी सभा को बताया जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mrs. Verma ... (Interruptions)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: 5 तारीख की घटना है, आज 7 तारीख हो गई है। मेरी मांग यह है कि एक्शन होना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has taken action... (Interruptions)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: वह कहते हैं मैंने विट्ठी लिखी है... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He has already taken action... (Interruptions) He has reacted to it... (Interruptions)

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, I have permitted Mrs. Verma.

Re. Non-withdrawal of a false case against a women by police

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी आपके माध्यम से आज एक गंभीर मामला मैं सदन में उठाना चाहती हूं। कुछ समय पूर्व 29.04.92 को मैंने एक महिला-पूतम बालूजा—का जो शोषण हुआ था और दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर थाने में एस. आई. ने उनको फ्लेश ट्रेड में भेजने की कोशिश की थी वह केस मैंने उठाया था। मेरा कहना यह है कि उस पुलिस आफिसर के अग्रेस्ट केस साबित हो चुका है और गृह मंत्री जी का मेरे पास जवाब आया है कि उस एस.आई. को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है परन्तु मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उस महिला के खिलाफ जो झूठा केस लगाकर उसको थाने में लाकर-अप में एक रात बंद किया गया उसको आज तक थाने में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसका केस बन्द नहीं हुआ है। अंदर-अंदर पुलिस का कहना है कि हम इस केस को सातों-साल लटकाएंगे और महिला को रोज़ थाने में ब्लाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने केस की फाइल नहीं आई, वह कहते हैं कि विजिलेंस रिपोर्ट की फाइल नहीं आई है। तो मेरा कहना यह है कि जिस पुलिस एस.आई. के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और साबित हो चुका है कि इस मामले में उसने उस औरत को फ्लेश ट्रेड में धकेलने की कोशिश की थी उसको तो नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, लेकिन महिला के खिलाफ जो झूठा चार्ज लगाया था, उसको आज तक खारिज नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस केस के मामले को आप जल्दी से निपटवाएं, महिला पर जो झूठा चार्ज लगाकर उस पर सब चीज़ आरोपित की थी, इस केस को खारिज करवाएं और फिर महिला को कुछ सम्मानित नौकरी दिलवाई जाए। मैं सदन के द्वारा आपसे यह आग्रह करना चाहूंगी।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): मैं इसके अंदर जरूर ध्यान दूंगा।